an>

Title: Motion to consider (i) Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015, (ii) National Waterways Bill, 2015, (iii) Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2015.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, खड़गे साहब और प्रतिपक्ष लगातार इस बात को हमेशा उठाते रहते हैं कि पूरे विमर्श के लिए आवश्यक है कि कई विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No cross-talks please, Shri Javadekar.

â€¦(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, सभी सदस्यों ने, विपक्ष ने और खड़गे साहब ने इस बात को कहा है कि हम " कम्पनसेटरी आफ एफोरस्ट्रेशन फंड बिल " को तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं। " नेशनल वॉटरवेस बिल, 2015 " को भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, ऐसा हमारा सदन से आग्रह है। इसके साथ " माइक्रो स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 2015 " को भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। मुझे लगता है कि खड़गे साहब जरूर खुश हुए होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, ये जो-जो बिल चाहते हैं, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हैं। जेटली साहब नहीं आए थे, समय को बढ़ाना था इसलिए कई सदस्य स्टेटमेंट दे रहे थे। यह आपका विचार है कि कौन-सा बिल भेजना है और किस बिल को नहीं भेजना है। हम सभी के लिए इनसिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपने दो-तीन बिलों को ही स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए चूज़ किया है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैडम, मैं एक चीज बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) वÂ़ान 1980 तक 150 सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं, जब हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी थीं। वÂ़ान 1991 तक राज्य सभा में इतनी ही संख्या में सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं। वÂ़ान 1993 से 2003 तक, इन 20 वÂ़ाोों में, इन दो दशकों में हार्डली सिंगल डिजिट में सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं और अब इस अवधि में, एक ही साल में सात से अधिक सेलेक्ट कमेटीज और एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी बनी है। मेजॉरिटेरियन व्यू-प्वाइंट लोक सभा में है, but you also have to take the Opposition into confidence. Standing Committee is the only place where the Members also become a participant in the law making. It is not the prerogative of only the Executive. So, in Standing Committees as elected Members we also participate in law making. आपने 51 बिल्स में से अभी तीन ही बिल आपने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। Out of 51 Bills three Bills have been sent to the Standing Committee and we welcome it. I think in future more Bills will be referred to the Standing Committees. Let us go back home with this view that better sense is now being prevailed.

18.06 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA ...Contd.